न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
ग्रामवासी चरलिया ब्राहम्ण बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/627
प्रकरण संख्या – 183/2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 183/2024
जीसीएमएस न0 2024/627

1. ग्रामवासी चरलिया गदीया निवासी भावलिया तहसील निम्बाहेडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता प्रार्थी – प्रार्थी स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 13.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया के आराजी नम्बर 273 रकबा 0.56 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273/692 रकबा 3.24 हैक्टेयर गे0मू0रास्ता, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता उपरोक्त सभी आराजियात की किस्म वर्तमान जमाबंदी में गे0मु0 रास्ता दर्ज है जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजियात की किस्म भू0रे0क दर्ज थी तथा वर्तमान में मौके पर भी रास्ता नहीं होकर गाव की आबादी बसी हुई है। अतः कृपया उपरोक्त आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता के बजाए भू0रे0क दर्ज करने की कृपा करावें।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया के आराजी नम्बर 273/692 रकबा 3.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता होकर गत आराजी नम्बर 97 रकबा 18 बिघा 4 बिस्वा से बने है जमाबन्दी सम्वत 2053–56 की खाता संख्या 1 मे उक्त गत आराजी की किस्म भू0रे0क दर्ज थी जो की सेटलमेन्ट तक यथावत रही परन्तु उक्त सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में सभी आराजियात की किस्म लिपिकिय त्रुटी से गे0मु0रास्ता दर्ज हो गई। आराजी नम्बर 270 पर मौके पर रास्ता मौजुद है तथा शेष सभी आराजी आबादी बसी हुई है। अतः उक्त आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता के बजाए मु0रे0क दर्ज किया जाना उचित होगा।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:34 IST
Reason: SelfAttested

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
ग्रामवासी चरलिया ब्राहमण बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/627
प्रकरण संख्या – 183/2024

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वाके मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया के आराजी नम्बर 273/692 रकबा 3.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता होकर गत आराजी नम्बर 97 रकबा 18 बिघा 4 बिस्वा से बने है जमाबन्दी सम्वत 2053–56 की खाता संख्या 1 मे उक्त गत आराजी की किस्म भू0रे0क दर्ज थी जो की सेटलमेन्ट तक यथावत रही परन्तु उक्त सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में सभी आराजियात की किस्म लिपिकिय त्रुटी से गे0मु0रास्ता दर्ज हो गई। आराजी नम्बर 270 पर मौके पर रास्ता मौजुद है तथा शेष सभी आराजी आबादी बसी हुई है। अतः उक्त आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता के बजाए मु0रे0क दर्ज किया जाना उचित होगा।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया के आराजी नम्बर 273/692 रकबा 3.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 273 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि आराजियात की किस्म गे0मु0 रास्ता के बजाए मु0रे0क दर्ज तरमीम किए जाने का आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:34 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा